आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी,

चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण एवं बैठक में उपस्थित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बन्धुओं

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर मैं अपनी ओर से एवं बिहार के समस्त व्यवसायी वर्ग की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ । मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अति व्यस्त समय में से समय निकालकर चैम्बर में पधारने की कृपा की है ।

महोदय, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय की शीर्ष संस्था है एवं इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यवसाय एवं उद्योग की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर उसके निदान हेतु प्रयास करना तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने में अपनी सलाह देना एवं उनसे राज्य में उद्योग एवं व्यवसाय जगत को अवगत कराना है । चैम्बर एवं उद्योग विभाग का अटूट सम्बन्ध है और चैम्बर राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास हेतु उद्योग विभाग के सभी रचनात्मक कार्यों में बराबर सक्रिय सहयोग करता रहा है तथा भविष्य में भी रचनात्मक सहयोग देता रहेगा ।

माननीय मंत्री महोदय, उद्योग सम्बन्धी कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे :—

श्री श्याम रजक, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार के साथ दिनांक **13** जून, **2019** को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन ।

(1) **<u>उद्योग के भूमि के संबंध में :–</u>**

i. विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनर्रीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है । औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।

गत दिनों में उद्योग विभाग ने औद्योगिक भूमि का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के संबंध में एक प्रस्ताव निबंधन विभाग को भेजा है जिसमें औद्योगिक भूखंड के लिए निर्धारित होने वाले MVR को कृषि कार्य के लिए निर्धारित MVR का 1.5 गुणा निर्धारित किए जाने की अनुशंसा है । अतः इसका कार्यान्वयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।

ii. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना किया जाए ।

– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाए ।

– औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर इलाकों की चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।

क्रमशः 2

– नई औद्योगिक इकाईयॉ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है । यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

(2) **दूध प्रसंस्करण से सम्बंधित राज्य में लगने वाले प्रोजेक्ट के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में <u>किए गये प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता</u>**

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडीका – 3.1 के अंतगर्त Milk Processing & Dairy Product Manufacturing इकाई के स्थापना की बात कही गयी है, लेकिन साथ ही साथ इसी कंडीका में दिए गये Note इस प्रकार है :–

"For consideration under the priority sector, procurement of milk by the units shall not be carried out in areas where dairy co-operatives formed by COMFED are already in operation".

कंडीका नीति का उक्त प्रावधान निजी क्षेत्र के अधीन दुध प्रसंस्करण इकाई के स्थापना को हतोत्साहित करता है। वर्तमान में राज्य के 9 प्रमंडलों में से 6 प्रमंडल में दुध procurement करने से निजी क्षेत्र के दुध प्रसंस्करण इकाईयों पर रोक लगा रखा गया है। यह एक विरोधाभाष है कि जहां राज्य में उत्पादित होने वाले कुल दुध का मात्र 17 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है, वहीं राज्य में निजी क्षेत्र में लगने वाले इकाई को हतोत्साहित भी किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि नीति की उक्त कंडीका को संशोधित किया जाए, जिससे कि दुध प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश हो सके जो ultimately राज्य के औद्योगिकीकरण को गति देगा।

(3) <u>औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का Mid-Term Review हेतु :–</u>

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का पूर्व के औद्योगिक नीतियों के समान Mid-Term Review किया जाए ।

क्रमशः **.....3**

(4) <u>खरीद अधिमानता नीति :–</u>

अभी खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि टेंडर में Brand, Turnover & Turn-key इत्यादि की शर्ते लगायी जा रही है । अत: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में प्रावधानित खरीद अधिमानता नीति को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि स्थानीय उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके। खरीद अधिमानता नीति अंतर्गत ब्रांड, टर्न ओवर एवं टर्न–की की बाध्यता को दूर किया जाना चाहिए।

(5) <u>बिहार में भी भारत सरकार के एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम हेतु बी–हैवी मोलासेस से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में</u>

राज्यों में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत पेट्रोलियम आयात को कम करने एवं विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम (E.B.P) के अन्तर्गत शीरे से एथनॉल (डिनेचर्ड एनहाइड्रस अल्कोहल) का निर्माण किये जाने एवं पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाल मिश्रित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की प्रबल संभावनाओं, शीरे की प्रचुर उपलब्धता की दृष्टिगत उसका निस्तारण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है । अत: राज्य सरकार को भारत सरकार की इस योजना को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से बी–हैवी मोलासेस से भी एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाए । इसके लिए विभाग को राज्य के चीनी मिलों का भी आग्रह प्राप्त है ।

(6) <u>उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में :–</u>

राज्य में बैंकों के नकारात्मक सोच के कारण ऋण मिलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर ऋण नहीं मिलने से उद्योग के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है । अत: राज्य सरकार को राज्य के निगमों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का आग्रह है ।

क्रमश: **.....4**

(7) <u>BIADA से संबंधित सुझाव :–</u>

i BIADA द्वारा सुक्ष्म, एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को भूमि आवंटन किये जाने के बाद 10% राशि 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होती थी एवं 90% राशि को 20 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में बगैर किसी सूद के लिया जाता था लेकिन हाल में बियाडा द्वारा निर्गत एक कार्यालय आदेश के द्वारा उक्त भुगतान योजना में परिवर्तन करते हुए सुक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को उपलब्ध करायी गई रियायत को खत्म कर दिया गया है। नये आदेश के अनुसार अब सभी प्रक्षेत्र के उद्योगों को चाहे वो सूक्ष्म या लघु प्रक्षेत्र के श्रेणी में हो अथवा मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र में, उन्हें भूखंड आवंटन के बाद पहली किस्त के रूप में भूखंड के मूल्य का 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 7 वार्षिक किस्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करने का प्रावधान किया गया है। बियाडा द्वारा सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को आवंटित भूखण्ड के मूल्य के भुगतान की पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को पुनः लागू करने का आग्रह है ।

ii बियाडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को आवंटित भूमि को उत्पादन में आने के कुछ वर्षों के उपरान्त उस इकाईयों के भूमि को फ्री होल्ड में स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

iii वर्तमान में BIADA द्वारा भूमि का आवंटन Manufacturing Sector के लिए किया जा रहा है परन्तु Investment का प्रस्ताव अन्य Sector तथा Service Sector से भी आ रहा है पर BIADA से जमीन नहीं मिलने के कारण Investment नहीं हो पा रहा है । Investment कराने के लिए इस सेक्टर के लिए भी भूमि आवंटन का विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए ।

(8) <u>GST का Reimbursement के संबंध में :–</u>

1 जुलाई 2017 से राज्य में VAT/Entry Tax के बदले Goods & Service Tax (GST) प्रभावी किया गया है लेकिन अभी तक GST के अन्तर्गत किये गये भुगतान के संबंध में उद्योगों के लिए Reimbursement से संबंधित कोई नीति नहीं होने के कारण इसका भुगतान लंबित है ।

क्रमशः 5

(9) **विद्युत संबंधित सुझाव :–**

i. विद्युत की दरें प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए लेकिन इसकी दरें BERC DISCOMs के Financial Figures के आधार पर करती है । अत: सरकार से अनुरोध है कि इसके प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए राज्य में अवस्थित इकाईयों को समुचित Incentive दिया जाना चाहिए ।

ii. बिजली की खपत के लिए संग्रह शुल्क के लिए बिजली आपूर्ति की दर केवल KWH/KVAH के लिए बनायी जानी चाहिए (Tariff of Electric supply should be made single part only by collecting charges for electricity consumed in terms of KWH/KVAH only). अभी KVA एवं KVAH के लिए अलग–अलग शुल्क देना होता है ।

iii. राज्य में अवस्थित सभी इकाईयों (नया एवं पुराना) को पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011के तहत बिजली में AMG/MMG से छूट प्राप्त था । अत: अनुरोध है कि पूर्व की भांति राज्य के सभी नई एवं पुरानी इकाईयों को AMG/MMG के Charges से छूट प्रदान किया जाना चाहिए ।

(10) **आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित सुझाव :–**

राज्य के अधिकधिक क्षेत्रों में चहुमुखी विकास यथा – सड़क, पुल एवं विद्युतीकरण के फलस्वरूप राज्य के उद्यमी विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन आदि का उद्यम लगा रहे हैं । अत: इन सेक्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

11. **केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण की अधिसूचना :–**

केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण की अधिसूचना 4910 दिनांक 12.12.2018 क्रमांक 2.3.1. में उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था सरकारी एजेन्सी से पूर्ण नहीं होने के कारण भूमिगत जल का अपने स्तर से व्यवहार करना अनिवार्य हो गया है । फलस्वरूप NOC लेना आवश्यक होता है लेकिन उसका नवीकरण प्रत्येक पॉच वर्षों में कराना जो आवश्यक है उससे डद्योगों को छूट प्रदान करना चाहिए एवं NOC एक बार जो करायी जाये वो सदैव के लिए हो ।

उद्योगों की प्रगति हेतु आधुनिकीकरण, बदलाव, प्रसार आवश्यक होता है । इस कारण अधिसूचना का क्रमांक 2.3.1.xvi WCF लागू नहीं होना चाहिए और NOC के नवीकरण या बदलाव के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूमिगत जल का व्यवहार विभागीय पोर्टल पर हर वक्त उपलब्ध है ।

अत: इन प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है ।

दिनांक :– 13-06-2019